न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शामली स्थित कैराना।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–**866 / 2026**

सावेज पुत्र इरफान, निवासी ग्राम तित्तरवाडा, थाना झिंझाना, जिला शामली।
.....आवेदक / अभियुक्त,

बनाम

राज्य **.....विपक्षी,**

मु0अ0सं0 820 / 2025
धारा 111(4),351(2) बी.एन.एस.
थाना कैराना, जिला शामली।

आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता–**श्री मनीष कौशिक,**
राज्य– **जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक।**
दिनांकः–10.06.2026

आवेदक / अभियुक्त सावेज की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र शपथकर्ता खालिदा पत्नी इरफान द्वारा इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वह आवेदक / अभियुक्त की पैरोकार है तथा तथ्यों से परिचित है। आवेदक / अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र न तो सत्र न्यायालय न ही माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा उपनिरीक्षक विपिन शर्मा द्वारा संबंधित थाने पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि दिनांक 30.12.2025 को वह मय हमराहीगण थाने से बहवाले रपट नंबर 72 समय 23:45 बजे देखरेख शांतिव्यवस्था, चैकिंग संदिग्ध वाहन / व्यक्ति व रोकथाम जुर्म जरायम व रात्रि गस्त में रवाना होकर चौकी क्षेत्र में मामूर था कि तभी मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि बाबा गैंग के बदमाश जिन्होंने इंन्स्टाग्राम पर संगठित होकर एक गैंग बनाया हुआ है। इस गैंग के सदस्य ने इन्टरनेट पर संगठित होकर एक गैंग बनाया हुआ है और इन्टरनेट के माध्यम से दबंगई कर लोगों को धमकी देकर भय व आतंक व्याप्त कर रखा है। इस गैंग के कुछ सदस्य चौकी क्षेत्र तीतरवाडा के आसपास किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं, जिनके पास नाजायज असलहा भी है, दिलशाद के चम्मच सुखाने के खेत के पास खड़े हैं। मुखबिर की सूचना पर बताए स्थान पर जाकर पुलिस बल द्वारा आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए दो लड़कों का पकड़ लिया गया, जिनमें पहले ने अपना नाम मोनिस बताया तथा जामातलाशी में उसके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए, दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम फरमान बताया और जामातलाशी में उसके पास से एक अदद छुरा बरामद हुआ। बरामदशुदा माल के बारे में कड़ाई से पूछने पर दोनों ने एक स्वर में बताया कि हम मोबाईल पर दबंगई जैसी वीडियो बनाकर इन्स्टाग्राम पर लोगों में दहशत फैलाने के लिए वायरल करते हैं, हमारी गैंग का लीडर जुनैद है तथा हमारे साथी रिहान, अय्यान, कौशर, सोनिज हैं। वादी मुकदमा द्वारा दी गयी उक्त तहरीर के आधार पर संबधित थाने पर सागर व मोनिस व फरमान के विरूद्ध मुकदमा अन्तर्गत धारा 4 / 9 / 25 आयुध अधिनियम व धारा 66सी आई. टी. एक्ट व धारा 351(2) बी.एन.एस. पंजीकृत हुआ।

आवेदक / अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक / अभियुक्त निर्दोष है, उसे इस मामले में रंजिशन पार्टीबाजी के आधार पर झूठा फंसाया गया है, उसने ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया है, जैसा कि मामले की प्राथमिकी में दर्शाया गया है। अभियुक्त का कोई गैंग नहीं है और न ही वह किसी

प्रकार से समाज विरोधी क्रियाकलापों का कार्य करता है और न ही किसी गिरोह से उसका कोई संबंध है। वह नामजद अभियुक्त नहीं है, रंजिश के आधार पर उसे मामले में संलिप्त किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 09.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। सहअभियुक्तगण की जमानत माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। उपरोक्त आधार पर आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ गैंग बनाकर गैंग के सदस्य के रूप में अवैध असलहों से लैस होकर आम लोगों में भय व दहशत कायम करने के आशय से वीडियो बनाकर इन्स्टाग्राम पर वायरल किए जाने व जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं है, दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त को वर्तमान मामले में नामित किया गया है। मामले में बाद विवेचना आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि का कोई तथ्य प्रकाश में नहीं लाया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 09.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। इसके अतिरिक्त सहअभियुक्त फरमान की जमानत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.02.2026 व अभियुक्तगण सोनिज व सूफियान की जमानत दिनांक 02.04.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना यह न्यायालय जमानत का उचित आधार पाता है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **सावेज** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को अंकन 50,000/–(रू0 पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि के दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि अनुरूप दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता हैः–

1. यह कि आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा।

दिनांक–10.06.2026

(प्रभारी)
सत्र न्यायाधीश,
शामली स्थित कैराना।